झारखण्ड राज्य विद्युत नियामक आयोग

नवीन पुलिस लाइन रोड, सी. एम. हाउस के सामने, कांके रोड, रॉची – 834008.

सार्वजनिक सूचना

एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि (1) इन्लैण्ड पावर लिमिटेड ने वर्ष 2018–19 का Annual Performance Review करने के लिए आवेदन देते हुए विद्युत उत्पादन दर निर्धारण करने हेतु आयोग से अनुरोध किया है । आवेदन की एक प्रति इन्लैण्ड पावर लिमिटेड ने अपने वेबसाईट (www.inlandpower.in) पर जारी किया था तथा इसकी सूचना दिनांक 31 मई एवं 01 जून 2019 के विभिन्न समाचार पत्रों में प्रकाशित करते हुए दिनांक 27/09/2019 तक आपत्ति /सुझाव/मंतव्य मांगा था । इन्लैण्ड पावर लिमिटेड के द्वारा सूचित किया गया है कि उक्त आवेदन पर उन्हें कोई भी आपत्ति/सुझाव/मंतव्य प्राप्त नहीं हुआ । इस आवेदन की एक प्रति झारखण्ड राज्य विद्युत नियामक आयोग के वेबसाईट (www.jserc.org/ipl.aspx) पर भी उपलब्ध है एवं (2) टाटा पावर कम्पनी लिमिटेड ने भी यूनिट 2 एवं 3 के लिए वर्ष 2017 – 18 का True-up, वर्ष 2018 – 19 का APR एवं वर्ष 2019 – 20 से वर्ष 2020 – 21 का Revised ARR का अनुमोदन करने हेतु आयोग में आवेदन दिया है । आवेदन की एक प्रति टाटा पावर कम्पनी लिमिटेड ने अपने वेबसाईट (www.tatapower.com) पर जारी किया था तथा इसकी सूचना दिनांक 10 एवं 11 अगस्त 2019 के विभिन्न समाचार पत्रों में प्रकाशित करते हुए दिनांक 31/08/2019 तक आपत्ति /सुझाव/मंतव्य मांगा था । टाटा पावर कम्पनी लिमिटेड के द्वारा सूचित किया गया है कि उक्त आवेदन पर उन्हें कोई भी आपत्ति/सुझाव/मंतव्य प्राप्त नहीं हुआ ।

विद्युत अधिनियम 2003 के प्रावधानों के अनुसार विद्युत उत्पादन दर निर्धारण करने के पूर्व उपरोक्त उक्त आवेदनों पर झारखण्ड राज्य विद्युत नियामक आयोग, रॉची के द्वारा **जन–सुनवाई** निम्नलिखित तिथियों को अंकित समयों एवं स्थानों पर होना सुनिश्चित किया गया है –

कम्पनी का नाम	जन–सुनवाई की तिथि एवं समय	जन–सुनवाई का स्थान
(1) इन्लैण्ड पावर लिमिटेड	**16.10.2019** (बुधवार) 2:30 बजे अपराह्न से	आयोग के सभागार, नवीन पुलिस लाइन रोड, सी० एम० हाउस के सामने, कांके रोड, रॉची
(2) टाटा पावर कम्पनी लिमिटेड	**23.10.2019** (बुधवार) 2.30 बजे अपराह्न से	गोलमुरी क्लब, गोलमुरी, जमशेदपुर

अतः सभी इच्छुक व्यक्ति/संस्था, उपभोक्ता समूह एवं विज्ञप्तिधारियों को सूचित किया जाता है कि जन–सुनवाई में उपस्थित होकर अपने सुझाव, आपत्तियॉ एवं मंतव्य आयोग के समक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं।

आदेशानुसार

राजेन्द्र

(आर० पी० नायक)
सचिव